राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/14/70396 जयपुर, दिनांक 27-4-18

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 23-03-2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को चयन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर लेवल पे मैट्रिक्स एल-9 में पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2015-16 (टीएसपी)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री दीपेश कुमार	सामान्य	-
2	श्री ललित आचार्य	ओबीसी	-

1- श्री टी.सी देवासिया, कनिष्ठ सहायक द्वारा रिक्ति वर्ष 2013-14 के विरूद्ध दी गई पदोन्नति को फोरगो किये जाने के कारण ये वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 कुल दो वर्षों के लिए पदोन्नति के पात्र नहीं है।

2- श्री पशुपति सिंह, कनिष्ठ सहायक, वर्ष 2013-14 मे पदोन्नति की विचारणीय सीमा में आते है परन्तु श्री सिंह को विभागीय आदेश दिनांक 01.06.2015 के द्वारा 3 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 हेतु पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया ।

वर्ष 2016-17 (टीएसपी)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री टी.सी. देवासिया	सामान्य	01.04.2016
2	श्री मोहन सिंह	सामान्य	01.09.2016

श्री पशुपति सिंह, लिपिक ग्रेड द्वितीय विरूद्व एफ.आई आर संख्या 132/2011 में दिनांक 21.12.2011 को एसीजेएम प्रतापगढ के न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के फलस्वरूप इनकी वर्ष 2016-17 (रिक्ति दिनांक 01.12.16) की पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा बन्द किये जाने की सिफारिश की गयी है ।

पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगें।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(1)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/14/ 70397-411 जयपुर, दिनांक 27-4-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण
5. उप निदेशक (प्रशिक्षण/विखाका) मुख्यालय जयपुर।
6. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ....
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी .... जिला ....
8. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय।
10. सम्बन्धित कार्मिक श्री ....
11. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर